

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र संख्या एफ 1008 (22)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015-16/417 दिनांक 15.06.2016 एवं दिनांक 11.07.2016 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों की पहचान राशन कार्ड के माध्यम से किया जाना बंद कर दिया गया है तथा लाभार्थी परिवार की पहचान सिर्फ भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। तदनुसार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर में निम्नानुसार बदलाव कर दिया गया है:-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के राजस्थान के पात्र परिवार

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवारों की योजनान्तर्गत पहचान के लिये साफ्टवेयर में **RSBY Manual** के विकल्प का प्रावधान किया जा चुका है। इस विकल्प में प्री ऑथ का फॉर्म भरते समय **RSBY** से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति **Other Documents or Reports** के विकल्प में **RSBY Documents** के नाम से आवश्यक रूप से अपलोड करें।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार

a. जिन परिवारों की मुखिया का भामाशाह कार्ड उपलब्ध है।

- लाभार्थी परिवार की पहचान परिवार के मुखिया के भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही की जानी है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर नीचे प्रदर्शित परिवार विवरण में से मरीज को चिन्हित किया जाना है।

b. जिन परिवारों ने भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है, परन्तु भामाशाह कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

- ऐसे परिवारों को भामाशाह कार्ड के आवेदन के समय एक **Acknowledgement Slip** दी जाती है, ऐसे पात्र परिवारों के लिये साफ्टवेयर में **Bhamashah Eid** विकल्प का प्रावधान किया जा चुका है। **Acknowledgement Slip** पर अंकित **EID** नम्बर डालने पर भी परिवार की पहचान की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर नीचे प्रदर्शित सूची में से मरीज को चिन्हित किया जाना है।
- इसी प्रकार यदि लाभार्थी परिवार ने अपने किसी सदस्य का नाम भामाशाह कार्ड में जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, परन्तु नया भामाशाह कार्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी दशा में भी प्राप्त **Acknowledgement Slip** पर अंकित **EID** नम्बर डालकर परिवार की पहचान की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर नीचे प्रदर्शित सूची में से ऐसे मरीज को चिन्हित किया जाना है।


c. जिन परिवारों ने अपनी परिवार मुखिया का भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया है

- जिन लाभार्थी परिवारों ने अपनी परिवार की मुखिया का भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया है, उन्हें योजना के अन्तर्गत तब तक लाभ नहीं दिया जा सकता है जब तक की वो भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर दें। इसके लिए उन्हें तुरंत भामाशाह कार्ड बनवाये जाने की सलाह दी जानी चाहिए। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपना भामाशाह कार्ड बनवा सकते हैं।
- जिन लाभार्थी परिवारों ने अपना भामाशाह कार्ड बनवा लिया है परन्तु वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर में NFSA परिवार नहीं दिख रहा है उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपने राशन कार्ड की संख्या भामाशाह कार्ड में जुड़वा सकते हैं।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

इसके अतिरिक्त दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह कार्ड / Acknowledgement Slip एवं RSBY Card के अतिरिक्त अन्य कार्ड / दस्तावेज से लाभार्थी की पहचान करने पर क्लेम निरस्त योग्य माने जायेंगे।


अतः समस्त को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए मरीजों को भामाशाह कार्ड लाने हेतु प्रेरित करें तथा राशन कार्ड की सीडींग भामाशाह कार्ड में करवाने हेतु मार्गदर्शन दें। इस परिपत्र की उपलब्धता प्रत्येक स्वास्थ्य मार्गदर्शक के काउंटर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।


(नवीन जैन)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (21)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015-16/ दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. मंत्री राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
3. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
4. राज्य नोडल अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
5. जिला नोडल अधिकारी (RAS RANK), (समस्त)
6. संभाग सयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)
7. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
8. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
12. नोडल अधिकारी (निजी अस्पताल समस्त)
13. श्री तपन कुमार, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
14. उप महाप्रबंधक, न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कंपनी।
15. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य कार्यालय।
16. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी